



पातालकोट घाटी की भारिया जनजाति : एक परिचय

डॉ. दीप्ति सिंह

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय नवीन महाविद्यालय केशवाही, जिला-शहडोल (म.प्र.)।

सारांश-

प्रस्तुत शोध-प्रपत्र मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य राज्य पर केन्द्रित है। मध्यप्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। जो मूलतः किसान हैं और जल-जंगल-जमीन से उसका नाभि-नाल का रिश्ता है। वह जंगल के उत्पाद पर गुजर-बसर करता है और प्रकृति के साथ सहयोगी की भूमिका निभाते हुए, उसकी रक्षा भी करता है। वह उसका उपभोक्ता भी है और पोषक भी। विडम्बना यह है कि मध्यप्रदेश के आदिवासी समूह से भारत की शेष आबादी आज भी पूरी तरह से परिचित नहीं है और तो और, जो लोग मध्यप्रदेश में उन पर राज कर रहे हैं, वे भी उनकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली, मूल्यों, आचार संहिताओं तथा उनकी सर्व सहमति व लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्रमशः बैगा, भारिया और सहरिया हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 5.51 लाख हैं। यह कुल जनजातीय आबादी का 4.51 प्रतिशत के आसपास है। इन जनजातियों के लिए ग्यारह विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है, जिनका कार्य क्षेत्र 15 जिलों में है। इसीलिए मध्यप्रदेश को "जनजातियों का घोंसला" कहा जाता है। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातियों के विकासार्थ शैक्षणिक, आर्थिक एवं अन्य विकास योजनाएँ संचालित हैं। जो उनके विकास में बहुत ही सहायक हैं।



मुख्य शब्द- मध्यप्रदेश, जिला-छिंदवाड़ा, पातालकोट घाटी, भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति, भारिया जनजाति क्षेत्र की भौगोलिक, जनांकिकी, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक स्थिति।

प्रस्तावना-

मध्यप्रदेश, भारत के हृदय स्थल के रूप में सुपरिचित किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अछूता पूरी तरह से भू-आवेष्टित राज्य है। मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला दक्षिण-पूर्व में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में 29.280 से 22.490 उत्तरी अक्षांश तथा 78.100 से 79.240 पूर्वी देशांश के मध्य एक चतुर्भुज आकार में बसा हुआ है। यह जिला 01 नवम्बर 1956 को प्रदेश के सिवनी एवं लखनादौन तहसीलों से अस्तित्व में आया। छिंदवाड़ा जिला कुल 11852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, मध्यप्रदेश का 10वां बड़ा जिला है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में छिन्द (पिन्ड-खजूर) के पेड़ बहुतायत में पाये जाते थे जिससे शहर का नाम "छिन्द" "वाड़ा" (जगह) पड़ा।

ये जिला 9 तहसीलों (छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, तामिया, अमरवाड़ा, चौराई, बिच्छुआ, सौसर और पार्न्डना), 11 विकासखण्डों (छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, तामिया, अमरवाड़ा, चौराई, बिच्छुआ, हर्नाई, मोहखेड, सौसर और पार्न्डना), 8 नगर पालिकायें (छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव और पार्न्डना), 8 नगर पंचायत (सौसर, अमरवाड़ा, चन्द्रामेटा बुटरिया न्यूटन चिखली, हर्नाई, मोहगाँव, चौराई और लोहीखेडा) में विभाजित हैं।

छिंदवाड़ा का अधिकांश भाग दक्कन पठार से ढका हुआ है। जिसमें अनेक स्थानों पर ट्रेपियन चट्टानों के मध्य जीवाशेषों से युक्त अवसादीय चट्टानों के स्तर पाये जाते हैं। यह भारत के लगभग मध्य में कर्क रेखा के निकट दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला है जहाँ कुल जनजाति जनसंख्या 769,778 (36.8 प्रतिशत) जिसमें पुरुष 385,785, महिलाएं 383,993 हैं।

पातालकोट घाटी में भारिया आदिम जाति क्षेत्र की भौगोलिक एवं जनांकिकी स्थिति

छिंदवाड़ा जिले की आठ तहसीलों में से एक तामिया तहसील सुरम्य पर्वतीय संपदा, और वनों से आच्छादित दुर्गमता से युक्त पातालकोट घाटी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। समुद्र की सतह से इसकी औसत ऊँचाई लगभग 3250 से 3750 फुट हैं।

पातालकोट घाटी का “कटोरा नुमा आकृति” का स्थल ही भारिया आदिवासियों की आवास स्थली है। भौगोलिक दुर्गमता में असाध्य जीवन-यापन कर रहे सभ्यता से कोसों दूर “भारिया” मध्यप्रदेश की एक प्रमुख आदिम जनजाति हैं। मध्यप्रदेश की आदिम जनजाति “भारिया” द्रविड़ समूह की जनजाति के सदस्य हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में लगभग ढाई लाख भारिया आदिवासी छिंदवाड़ा, जबलपुर, और बिलासपुर जिले में कृषि संबंधित व्यवसायों में संलग्न होकर (लगभग 35 प्रतिशत जबलपुर में लगभग 10 प्रतिशत छिंदवाड़ा जिले में और शेष 55 प्रतिशत बिलासपुर जिले में) जीवन-यापन कर रहे थे।

पातालकोट घाटी प्रकृति की नैसर्गिक संरचना वाला विस्तृत घाटियों का 1200 से 1500 फुट गहरा मनोरम भू-भाग है जो सतपुड़ा पर्वत की परतदार ऊंची किलानुमा श्रृंखलाओं से आवृत है। इस संपूर्ण क्षेत्र में नीला कुहरा छाया रहता है जो यहाँ की प्राकृतिक छटा निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संपूर्ण घाटी एक तरफ ग्रेनाइट की सख्त दीवार से घिरी हुयी है। ये जिले की पंच व कान्हान नदियों का उद्गम स्थल भी है। रेनवान और सीतारेवा यहाँ की पड़ोसी नदियाँ हैं, वहीं पालातकोट घाटी के दक्षिणी भाग में यहाँ की मुख्य नदी दूधी का उद्गम स्थल है।

पातालकोट घाटी के परिक्षेत्र में आने वाले 12 ग्रामों को 3 ग्राम पंचायतों में शामिल किया गया है। दो पंचायतें क्रमशः हर्नाकछार एवं घटालिंगा को पातालकोट घाटी परिक्षेत्र के ग्रामों से मिलाकर ही बनाया गया है किन्तु एक पंचायत कनेटिया इस परिक्षेत्र के बाहर स्थित है। इस पंचायत में पातालकोट के चार ग्रामों को समाहित किया गया है।

तालिका क्रमांक 1.1 : पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों में पंचायत व्यवस्था

पंचायत कठोतिया :	ग्राम	चिमटीपुर, कारेआम रातेड, सूखामाण्ड हारमउ, धोधरी गुज्जा डोगरी
पंचायत हर्नाकछार :	ग्राम	धुरनी मालनी डोमनी, खमरापुरा, सेहरा पंचगोल, जडमादल हर्नाकछार, झिरन
पंचायत घटालिंगा :	ग्राम	गुढीछतरी, घटालिंगा, पलनी गैलडुब्बा, धानासालदाना कौड़िया

स्त्रोत: कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तामिया जिला, छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारी।

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 1.1 के अनुसार पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का विभाजन दिखाया गया है। पंचायत घटालिंगा में जो कि पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है— 4 गाँवों गुढीछतरी, घटालिंगा, पलनी गैलडुब्बा, धानासालदाना कौड़िया को सम्मिलित किया है। इन ग्रामों में 8 गाँवों को विरान घोषित किया गया है। इन गाँवों में पंचायत चुनाव सामान्य पंचायतीय चुनाव जैसे ही होते हैं।

“भारिया जनजाति” के बारे में रसेल व हीरालाल ने सत्य ही कहा है कि पूरे पातालकोट में इनके बारे में हर गाँव में अलग-अलग कहानियाँ प्रचालित है। “रसेल व हीरालाल के अनुसार, “भारिया” भार का उपेक्षित

रूप है। यह प्रमुख “भार” आदिवासी से संबंधित है जो संयुक्त संघ क्षेत्र के पूर्वी भाग में एक समय अत्यंत प्रभुत्व या प्रभावी थी लेकिन आज ये सामाजिक मापदण्ड में अत्यंत निम्न स्तर पर है।¹

सामान्यता भारिया जनजाति के नाम के अर्थ के अनुरूप “भारिया” की भार शब्द से उत्पत्ति हुई होगी। भार का अर्थ है— वजन। अतः साधारण अर्थानुसार भारिया कुली या बोझा ढोने वाले। लेकिन यहाँ के निवासी इस अर्थ से स्वयं को संबंधित नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि हमें निम्न (नीचा) बताने के लिए बाहरी लोग ऐसा कहते हैं। भारिया जनजाति की संरचना अनिश्चित है।

भारिया उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में किसी निर्णय तक नहीं पहुँचा जा सकता। डॉ० रसेल व हीरालाल ने लिखा है— ‘भारिया अपने मूल सम्बन्ध को भूल गये हैं और अब इस जाति के अस्तित्व के बारे में जो भी कथाएँ प्रचलित हैं, वे यहाँ—वहाँ से एकत्र की गई हैं।’²

पातालकोट घाटी के गाँवों का पहुँच मार्ग आज भी अत्यंत दुर्गम है। इसीलिए पातालकोट घाटी संचार संसाधनों पहुँच मार्ग से वंचित हैं। जिसे तालिका 1.2 से समझना आसान हो जाता है—

तालिका क्रमांक 1.2
विकासखण्ड/तहसील में निवास करने वाली भारिया जनजाति की तहसील मुख्यालय से दूरी

क्र.स.	गाँव का नाम	दूरी किलोमीटर
1.	तामिया, पिपरिया से घटालिंगा, घटालिंगा से गुढीछतरी,	12 किमी० 2 किमी०
2.	तामिया से गैलडुब्बा, गैलडुब्बा से कौड़िया, गैलडुब्बा से हारमउ, हारमउ से सूखामाण्ड, गैलडुब्बा से घुरनी मालनी, डोमनी (पैदल मार्ग)	7 किमी० 3 किमी० 4 किमी० 4 किमी० 12 किमी०
3.	तामिया से छिंदी रोड, रातेड के ऊपर तक ग्राम रातेड तक (पैदल मार्ग) कठौतिया से चिमटीपुर (पैदल मार्ग) चिमटीपुर से घोधरी गुज्जा डोंगरी (पैदल मार्ग)	22 किमी० 2 किमी० 2.50 किमी० 5 किमी०
4.	तामिया से छिंदी रोड ग्राम डोंगरी से हर्राकछार, हर्राकछार से जड़मादल (पैदल मार्ग), हर्राकछार से झिरन (पैदल मार्ग)	9 किमी० 6 किमी० 8 किमी०
5.	तामिया से छिंदी हरई मार्ग से लोटिया अतरिया से सेहरा, सेहरा से खमरापुरा (पैदल मार्ग), सेहरा से पचगोल (पैदल मार्ग), सेहरा से झिरन (पैदल मार्ग)	16 किमी० 2 किमी० 5 किमी० 2 किमी०

स्रोतः— कार्यालय, सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, तामिया से प्राप्त जानकारी।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.2 से स्पष्ट है कि सभी गाँव तहसील मुख्यालय से बहुत दूरी में बसे हैं। बिजौरी गाँव जो हरई मार्ग का गाँव है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस, डाक बंगला, चर्च (19वीं सदी द्वारा निर्मित) उपलब्ध हैं। बिजौरी—हरई मार्ग पर ही पातालकोट घाटी बसी हुई है। बिजौरी से 11 कि०मी० की दूरी पर छिन्दी गाँव है जहाँ पर वन विभाग का कार्यालय स्थित है। तामिया में छिन्दी गाँव “भारिया” जनजाति का प्रमुख

¹ दीक्षित, डॉ. ध्रुव कुमार (2010), ‘पातालकोट घाटी: भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक विवेचन’, भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ.स. 22.

² तिवारी, डॉ. कपिल (2010), ‘सम्पदा मध्यप्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परम्परा का साक्ष्य’, भोपाल: आदिवासी लोक कला अकादमी एवं तुलसी साहित्य अकादमी पृ.स. 420.

बाजार स्थल हैं। जीप गाड़ी की सहायता से बीजाढाना गाँव के समीपस्थ घाटी के उच्चतम शिखर तक आया जा सकता है। यहाँ से देखने पर पातालकोट का विहंगम दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता है। यहाँ से पातालकोट के विभिन्न गाँवों के लिए पहुँच मार्ग पहाड़ों की कच्ची पगडंडी के रूप में निर्मित हैं।

पातालकोट घाटी के गाँवों को जोड़ते हुये सकरी पत्थर की 50-60 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जिनसे घाटी में उतरना-चढ़ना एक आम आदमी के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य होगा लेकिन भारिया जनजाति के सदस्य सीढ़ियाँ पर दौड़ते-कूदते हुये उतरते-चढ़ते हैं। छिन्दी गाँव में राज्य परिवहन की बसों का बस स्टॉप, हाईस्कूल, वन कार्यालय, विश्व खाद्य संघ का कार्यालय, बाजार, चिकित्सालय जैसी सुविधा उपलब्ध हैं।

भारिया जनजाति की सांस्कृतिक संरचना –

इनकी सांस्कृतिक संरचना को जानने के लिए हमें भारिया जनजाति की परम्परा, प्रथा, रीति-रिवाज, संस्कार एवं धार्मिक व्यवहारों को जानना आवश्यक हो जाता है। पातालकोट घाटी में जन्म, मुण्डन, विवाह और मृत्यु ये 4 प्रमुख संस्कार होते हैं। भारिया जनजाति बहिर्विवाही जनजाति समुदाय है। मृत्यु को पातालकोट वासी तीसरा विवाह मानते हैं। यहाँ पर प्रथम विवाह जन्म से एक माह होने पर माना जाता है जबकि दूसरा वधू विवाह और तृतीय मृत्यु भोज को मानते हैं।

यहाँ की धार्मिक आस्थाएँ मूलतः हिन्दू ही हैं। जनसंपर्क के अभाव में उनका तार्किकीकरण और लौकिकीकरण नहीं हो पाया है। ये पारम्परिक और वृहद समाज के देवी-देवता की आराधना करते हैं। इनमें सर्वाधिक बदलाव या परिवर्तन इनके वेशभूषा अर्थात् पहनावे में परिलक्षित होता है।

परन्तु वैज्ञानिक युग में भी ये अंधविश्वासी, प्रथाओं, जादू-टोने, झाड़ू-फूंक में लिप्त आदिम समाज के रूप में जीवन-यापन कर रहे हैं। पूर्णतः शासकीय मदद एवं भाग्य पर आश्रित ये विकास के प्रति जागरूक नहीं हैं। अवकाश के क्षणों में मद्यसेवन, चिलम ही इनकी प्रमुख दिनचर्या का आधार है। उनका आलस्य, अकर्मण्यता भाग्यवादिता एवं अन्योनाश्रिता का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण होना है।

इनकी जीवनचर्या आदिम जीवन-यापन और आधुनिकता की भँवर की वंचनाओं में आबद्ध हैं जिसे पराजित करने के लिए इनमें जागरूकता की संजीवनी की आवश्यकता अपरिहार्य है। एकांत जीवन-यापन के दृष्टिकोण को जीवन का आयाम मानने वाली पातालकोट घाटी की भारिया जनजाति अन्य जनजाति समुदाय से पिछड़ी हुई है।

पातालकोट क्षेत्र में भारिया जनजाति की भौक्षणिक स्थिति –

6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपलब्ध करना सरकार का दायित्व है। ऐसे में पातालकोट घाटी के भारिया जनजाति बच्चों में शिक्षा तथा क्षेत्र में उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं की स्थिति को जानना आवश्यक हो जाता है।

तालिका क्रमांक 1.3
विकासखंड तामिया में छात्रों की धर्माधारित नामांकन स्थिति

	प्राथमिक शैक्षणिक नामांकन स्थिति 2015-16											
	मुस्लिम		ईसाई		सिख		जैन		आदिम जनजाति		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
I	10	07	01	00	00	00	00	00	67	71	78	78
II	08	03	01	00	00	00	00	00	56	54	65	57
III	07	10	00	00	00	00	00	00	88	67	95	77
IV	11	09	02	01	00	00	00	01	89	55	102	66
V	09	07	00	01	00	00	00	00	56	49	65	57
VI	06	02	00	01	00	00	00	00	141	132	147	135

VII	05	11	00	01	01	00	00	01	157	129	163	142
VIII	08	09	00	01	00	00	00	00	122	140	130	150
योग	64	58	04	05	01	00	00	02	776	697	845	762

Source: BRC office, Tamia (02 February 2016).

पातालकोट घाटी में शिक्षा का स्तर राज्य के अन्य आदिवासी बाहुल्य जिलों की तुलना में निम्न हैं एवं यहाँ पर राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में शैक्षणिक स्तर में काफी भिन्नताएं हैं। तालिका क्रमांक 1. 3 में स्पष्ट है कि पातालकोट क्षेत्र में बी०आर०सी० कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुल 1,607 छात्र प्राथमिक कक्षा में नामांकित हैं। जिसमें भारिया जनजाति के कुल 1,473 छात्र नामांकित हैं, जबकि अन्य समुदाय के छात्रों का कुल नामांकन 134 हैं।

पातालकोट क्षेत्र में भारिया आदिम जाति की सामाजिक-आर्थिक संरचना –

पातालकोट घाटी के भारिया जनजाति की सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति हैं। ये पुरुष प्रधान सत्ता हैं। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक विशिष्ट पहचान हैं लेकिन औद्योगीकरण व नगरीकरण के कारण आज भारतीय समाज में परिवार बिखर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण व्यक्तित्व की टकराहट एवं सम्पत्ति संबंधी विवाद हैं लेकिन पातालकोट घाटी में परिवारों के विघटन में ये दोनों तत्व प्रभावी नहीं हैं, वरन् यहाँ पर विवाह पश्चात् पिता स्वयं ही पुत्र को परिवार से अलग कर दे रहा है अर्थात् पातालकोट घाटी में परिवार का विखण्डन, व्यक्ति (भारिया जनजाति) को व्यक्तिगत निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता हैं।

पातालकोट घाटी में भारिया जनजाति के परिवारों में एक रोचक तथ्य यह भी देखने को मिलता है कि यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो पिता अपने सहारे या साथ के लिए अपनी लड़की-दामाद को अपने साथ ही रख लेता हैं। भारिया जनजाति बड़े परिवार (अधिक सदस्य संख्या) को प्राथमिकता देते हैं। पातालकोट घाटी के अधिकांश परिवारों की नातेदारी यहाँ के विभिन्न ढानों (गाँवों) में देखी जा सकती हैं। भारिया जनजाति के नातेदारी संबंध सीमित क्षेत्रों में होने के कारण इनका संबंध घनत्व काफी प्रगाढ़ और मजबूत हैं जो इनकी सामाजिक संरचना की सुदृढ़ता प्रदर्शित करता हैं। पातालकोट घाटी में भारिया जनजाति अपने 51 गोत्रों का उल्लेख करती हैं लेकिन वर्तमान में विभिन्न गाँवों से मूलतः 12 गोत्र ही प्रमुखतः पातालकोट में देखे गये हैं। भारिया जनजाति में सगोत्र विवाह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं और इसका उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड देने का प्रावधान हैं। जो भारिया जनजाति समाज में गोत्र की नियंत्रणात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है।

पातालकोट एक नैसर्गिक पर्वतीय वन बाहुल्य घाटी है अतः वनोपज (प्राकृतिक संसाधन) यहाँ की आर्थिक संरचना का प्रमुख घटक हैं। दुर्गम पातालकोट घाटी क्षेत्र में पहुँच विहीन भागों में बसाहट के कारण भारिया जनजाति आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हैं। आर्थिक संरचना के 4 प्रमुख घटक हैं— 01. प्राकृति संसाधन (वन संपदा संग्रहण) 02. कृषि 03. श्रम कार्य 04. पशु पालन एवं शिकार। पातालकोट घाटी के जंगल भारिया जनजाति को दो तरह की वनोपज प्रदत्त करने में सहायक हैं। एक तो वनोपज का ये भोज्य सामग्री के रूप में उपभोग करते हैं और दूसरी वनोपज को बेचकर प्राप्त धन से अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संपूर्ण पातालकोट घाटी में महुआ, आम, जामुन, इमली, और बेर के वृक्षों की बहुतायत देखी जा सकती है।

कृषि भारिया जनजाति का दूसरा आर्थिक संसाधन हैं, लेकिन पातालकोट घाटी की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि से ये पूर्णरूपेण लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। मक्का, कोदो, कुटकी इनकी प्रमुख फसल हैं। पातालकोट घाटी की दुर्गमता के कारण यहाँ पशुपालन भी अविकसित अवस्था में हैं। पातालकोट घाटी में निवासरत भारिया जनजाति मुख्यतः बैल, बकरा, बकरी, मुर्गी ही पालते हैं। प्रत्येक गाँव के 1-2 घरों में गाय हैं और बैल खेतों में कृषि कार्य के काम में लाये जाते हैं वही बकरा व मुर्गी बली एवं खाने के काम में आते हैं। वनोपज संग्रहण, और श्रम कार्य ही भारिया जनजाति की आर्थिक स्थिति का प्रमुख माध्यम हैं। लेकिन इससे आय इतनी सीमित एवं निम्न होती है कि पातालकोट घाटी के शत-प्रतिशत भारिया गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं।

वर्तमान परिस्थिति भारिया जनजाति की आर्थिक संरचना और पातालकोट घाटी की विडंबना को स्पष्ट करती हैं कि आजादी के 73 वर्षों एवं विभिन्न शासकीय प्रयासों के बावजूद भी पातालकोट घाटी की अधोसंरचना

के विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका है, जिससे भारिया एकांतवासी जनजाति समाज आदिम अर्थव्यवस्था के प्राथमिक चरणों में कष्टमय जीवन-यापन कर रहा है।

निष्कर्ष—

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाएं पातालकोट घाटी क्षेत्र के भारिया आदिम जनजाति में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। जिसे वहाँ के निवासियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिसमें वहाँ के निवासियों की योजनाओं के प्रति रुचि उसका लाभ उठाने की जिज्ञासा मूलरूप से योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होने की सूचक हैं। शासन स्तर पर पर्याप्त मदद दी जा रही है। किसी भी स्तर पर भेदभाव देखने को नहीं मिला है। परन्तु पातालकोट घाटी क्षेत्र में इन विकास योजनाओं के परिणाम का प्रभाव प्रत्येक जनपद पंचायतों में अलग-अलग देखने को मिला है। जिसके कारक के रूप में जन जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव, जन प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता भारिया आदिम जनजाति निवासियों में मद्यपान का होना, महिलाओं की संगठन क्षमता तथा पातालकोट घाटी क्षेत्र में अंधविश्वास का होना आदि हैं। पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति विकास के लिये राज्य सरकार की भूमिका अहम है। भारिया जनजाति विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पातालकोट घाटी क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को अपने विकास के लिए स्वयं की ओर से भी प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए सरकार से अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। परन्तु इन विकास योजनाओं की सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक उसके वास्तविक पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति (हितग्राहियों) को शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची

1. अटल, योगेश एवं सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2011), 'आदिवासी भारत', जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स.
2. उपाध्याय, विजयशंकर एवं शर्मा, विजय प्रकाश (2007), 'भारत की जनजातीय संस्कृति', भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
3. उप्रेती, हरिश्चन्द्र (1963), 'भारतीय जनजातियाँ संरचना एवं विकास', जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
4. तिवारी, कपिल (2010), 'सम्पदा मध्यप्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परम्परा का साक्ष्य', भोपाल: आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी.
5. तिवारी, शिवकुमार (2005), 'मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति', भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
6. दीक्षित, डॉ. ध्रुव कुमार (2010), 'पातालकोट घाटी: भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक विवेचन', भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.